

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक E/8830 /
II-13-1/17

जबलपुर, दिनांक 08/11/2017
12

श्री अर्जुन सोनी, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 01.09.2017 से दिनांक 17.09.2017 तक 17 दिन बिना सूचना/आवेदन के अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति न करें, असफल रहने पर आपके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

स्वी/-
(मौ. फँहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक E/8831 /
II-13-1/17

जबलपुर, दिनांक 08/11/2017
12

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. अनुभाग अधिकारी स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
11. श्री अर्जुन सोनी, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


07.12.17
(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)